Agrinnovate India

वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखाओं सहित)

2015-16

Annual Report

(Including Annual Accounts)

2015-16

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

Agrinnovate India Limited

(A Government of India Enterprise)

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखाओं सहित)

2015-16

कॉरपोरेट सूचना

निदेशक मंडलः

डॉ. त्रिलोचन महापात्र

श्री छबिलेन्द्र राउल

श्री सुनिल कुमार सिंह

श्री अशोक दलवाई

डॉ. सुरेश एस. होन्नाप्पागोल

डॉ. संजीव सक्सेना

मुख्य कार्यकारी अधिकारीः

श्री रविन्द्रजीत सिंह बावेजा

मुख्य वित्त अधिकारीः

श्री आवेश यादव

कंपनी सचिवः

सी एस निधि गोधा

बैंकरः

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, उद्योग भवन, नई दिल्ली

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स वीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, डीडी - 34, बेसमेंट, कालकाजी,
नई दिल्ली - 110 019

पंजीकृत कार्यालयः

जी-2, ए- ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर
देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली - 110 012
दूरभाष : 011-25842122, 25842124

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड, जी-2, ए ब्लाक, एनएएससी कॉम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली- 110012 द्वारा प्रकाशित। मै. रॉयल ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-89/1, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली 110028 द्वारा लेजरटाईप सेट एंव मुद्रित।

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
वार्षिक आम बैठक की सूचना	1–7
अध्यक्ष की रिपोर्ट	8–9
निदेशक की रिपोर्ट	10–28
वित्तीय स्थिति विवरण (बैलेंस शीट) एवं लाभ व हानि का विवरण	29–44
सांविधिक लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट	45–57
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणी	58–59

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड (AgIn)
जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली 110 012
सीआईएन: यू01400डीएल2011जीओआई226486, ई-मेल: agrinnovateindia@gmail.com
फोन: 011-25842122, 011-25842124

पांचवीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने हेतु अल्प समय में सूचना

यह सूचित किया जाता है कि **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** के सदस्यों की **पांचवी वार्षिक आम बैठक का आयोजन दिनांक 21 दिसम्बर, 2016, दिन बुधवार को प्रातः 10.00 बजे** कमरा नं. 104, महानिदेशक, भाकृअनुप के समिति कक्ष, कृषि भवन, नई दिल्ली-110 012 में किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी :

सामान्य कार्य

1. दिनांक 31 मार्च, 2016 को अंकेक्षित (ऑडीटिड) बैलेंस शीट तथा दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि के विवरण एवं उस पर निदेशकों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा स्वीकार करना।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों (ऑडीटर्स) के लिए पारिश्रमिक (Remuneration) निर्धारित करना

विशेष कार्य

3. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त हो तो उसे बिना संशोधन अथवा संशोधन के साथ पारित करना

   ''**यह संकल्प किया जाता है कि** ''डॉ. त्रिलोचन महापात्र (DIN: 07556629), सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअनुप जिन्हें कम्पनी के अपर निदेशक तथा निदेशक मण्डल के अध्यक्ष में रूप में नियुक्त किया गया था और जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के तहत इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक इस पद पर विद्यमान हैं तथा जिनके संबंध में कम्पनी को कम्पनीज अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में स्वयं निदेशक से लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, को एतद्द्वारा कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है''

   ''**पुनः यह संकल्प किया जाता है कि** श्रीमती निधि गोधा, कम्पनी की कम्पनी सचिव को एतद्द्वारा कम्पनी की ओर से इस मामले में जरूरी अनुपालन करने और आवश्यकतानुसार अन्य सभी जरूरी कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है''

4. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त हो तो उसे बिना संशोधान अथवा संशोधान के साथ पारित करना

''**यह संकल्प किया जाता है कि** श्री छबिलेन्द्र राउल (DIN: 01003691), अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, भाकृअनुप जिन्हें दिनांक 12 मई, 2016 से कम्पनी के अपर निदेशक रूप में नियुक्त किया गया था और जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के तहत इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक इस पद पर विद्यमान हैं तथा जिनके संबंध में कम्पनी को कम्पनीज अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में स्वयं निदेशक से लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, को एतद्द्वारा कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है''

''**पुनः यह संकल्प किया जाता है कि** श्रीमती निधि गोधा, कम्पनी की कम्पनी सचिव को एतद्द्वारा कम्पनी की ओर से इस मामले में जरूरी अनुपालन करने और आवश्यकतानुसार अन्य सभी जरूरी कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है''

5. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त हो तो उसे बिना संशोधन अथवा संशोधन के साथ पारित करना

''**यह संकल्प किया जाता है कि** श्री अशोक दलवाई (DIN: 01945533), अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग जिन्हें दिनांक 20 अगस्त, 2016 से कम्पनी के अपर निदेशक रूप में नियुक्त किया गया था और जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के तहत इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक इस पद पर विद्यमान हैं तथा जिनके संबंध में कम्पनी को कम्पनीज अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में स्वयं निदेशक से लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, को एतद्द्वारा कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है''

''**पुनः यह संकल्प किया जाता है कि** श्रीमती निधि गोधा, कम्पनी की कम्पनी सचिव को एतद्द्वारा कम्पनी की ओर से इस मामले में जरूरी अनुपालन करने और आवश्यकतानुसार अन्य सभी जरूरी कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है''

6. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त हो तो उसे बिना संशोधन अथवा संशोधन के साथ पारित करना

''**यह संकल्प किया जाता है कि** डॉ. संजीव सक्सेना (DIN: 07545288), सहायक महानिदेशक (आईपी एवं टीएम) जिन्हें दिनांक 12 मई, 2016 से कम्पनी के अपर निदेशक रूप में नियुक्त किया गया था और जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के तहत इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक इस पद पर विद्यमान हैं तथा जिनके संबंध में कम्पनी को कम्पनीज अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में स्वयं निदेशक से लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, को एतद्द्वारा कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है''

''**पुनः यह संकल्प किया जाता है कि** श्रीमती निधि गोधा, कम्पनी की कम्पनी सचिव को एतद्द्वारा कम्पनी की ओर से इस मामले में जरूरी अनुपालन करने और आवश्यकतानुसार अन्य सभी जरूरी कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है''

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 2 दिसम्बर, 2016

ह0/-
(कंपनी सचिव)

नोट:

1. **बैठक में भाग लेने वाले व मताधिकार का उपयोग करने वाले सदस्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बैठक में भाग लेने तथा अपना मत देने के लिए स्वयं के स्थाान पर एक प्रॉक्सी की नियुक्ति कर सकते हैं और उस प्रॉक्सी का कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है।**

2. **वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से अड़तालीस घंटे (48 घंटे) पहले कम्पनी के कॉरपोरेट कार्यालय में प्रॉक्सी फार्म विधिवत रूप से भरकर जमा किया जाना चाहिए। रिक्त प्रॉक्सी फार्म संलग्न है।**

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार विशेष कार्य की प्रत्येक मद से संबंधित तात्विक तथ्य प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

4. इस बैठक के कार्य की किसी भी मद पर कोई सूचना चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्नों को कम्पनी सचिव को संबोधित करते हुए वार्षिक आम बैठक की तिथि से कम से कम दस दिन पहले कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को भेजें ताकि बैठक के समय आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अनुसार निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) का रजिस्टर, उनकी बनाए रखी गई अंशधारिता और नोटिस में संदर्भित सभी अन्य दस्तावेज कम्पनी के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर (शनिवार व रविवार को छोड़कर) प्रात: 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे के बीच सभी सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। कम्पनी की वार्षिक आम बैठक (AGM) के समय, बैठक स्थल पर भी ये दस्तावेज उपलब्ध रहेंगे।

नोटिस का अनुबंध

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

निम्नलिखित स्पष्टीकारक विवरण में संलग्न नोटिस की मद संख्या 3 में वर्णित व्यवसाय से संबंधित तात्विक तथ्य निर्धारित किए जाते हैं :-

मद सं. एजीएम 5/2:

यद्यपि अधिनियम की धारा 102 के अनुसार अपेक्षित नहीं है, फिर भी यह स्पष्टीकरण दिया जाता है :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा किसी सरकारी कम्पनी के ऑडीटर्स (लेखा परीक्षकों) को नियुक्त/पुनः नियुक्त किया जाए और उनका पारिश्रमिक, कम्पनी द्वारा आम बैठक में अथवा ऐसी रीति से तय किया जाएगा जो कम्पनी आम बैठक में निर्धारित करे। इसके अनुसरण में, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स वी.डी. एस. एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली (पंजीकरण संख्या डीई 1792) को रूपये 42,000/-एवं अपनी जेब से किए गए खर्च सहित पारिश्रमिक पर, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था ।

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक को नामित करने की प्रतीक्षा है। यह प्रस्ताव है कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के नामांकन के अनुसार निदेशक मण्डल को सांविधिक लेखा परीक्षक को नियुक्त करने और पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाए।

निदेशक मण्डल से निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और उसे पारित करने का अनुरोध किया जाता है:

''**यह संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के प्रावधानों के अनुसरण में, निदेशक मण्डल को एतद्द्वारा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए नामांकन के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

''**पुनः संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक मण्डल को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के समुचित पारिश्रमिक (सेवा कर की पूतिपूर्ति, जेब से किए गए खर्च सहित) को जैसा कि निदेशक मण्डल के बीच आपसी सहमति हो, निर्धारित करने के लिए एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है

मद संख्या एजीएम 5/3

कम्पनी द्वारा डॉ.त्रिलोचन महापात्र, (DIN: 07556629), सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) को कम्पनी का अपर निदेशक एवं कम्पनी के निदेशक मण्डल का अधयक्ष नियुक्त किया गया था। इस प्रकार नियुक्त होने पर, डॉ. त्रिलोचन महापात्र कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के आधार पर इस आम बैठक की तारीख तक अपने पद पर बने रहेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

अंशधारकों के अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल द्वारा सामान्य संकल्प की सिफारिश की जाती है।

हित का ज्ञापनः नियुक्त व्यक्ति होने के कारण डॉ. त्रिलोचन महापात्र को छोड़कर, कम्पनी के अन्य निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके सम्बन्धी इस संकल्प में वित्तीय रूप से अथवा अन्य कारणों से जुड़े हुए नहीं हैं अथवा उनका कोई हित नहीं है।

मद संख्या एजीएम 5/4

कम्पनी द्वारा श्री छबिलेन्द्र राउल, (DIN: 01003691), अपर सचिव (डेयर) एवं सचिव (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) को दिनांक 12 मई, 2016 से कम्पनी का अपर निदेशक नियुक्त किया गया था। इस प्रकार नियुक्त होने पर, श्री छबिलेन्द्र राउल, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के आधार पर इस आम बैठक की तारीख तक अपने पद पर बने रहेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

अंशधारकों के अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल द्वारा सामान्य संकल्प की सिफारिश की जाती है।

हित का ज्ञापनः नियुक्त व्यक्ति होने के कारण श्री छबिलेन्द्र राउल को छोड़कर, कम्पनी के अन्य निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके सम्बन्धी इस संकल्प में वित्तीय रूप से अथवा अन्य कारणों से जुड़े हुए नहीं है अथवा उनका कोई हित नहीं है।

मद संख्या एजीएम 5/5

कम्पनी द्वारा श्री अशोक दलवाई (DIN: 01945533), अपर सचिव, कृषि व सहकारिता विभाग को दिनांक 20 अगस्त, 2016 से कम्पनी का अपर निदेशक नियुक्त किया गया था। इस प्रकार नियुक्त होने पर, श्री अशोक दलवाई कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के आधार पर इस आम बैठक की तारीख तक अपने पद पर बने रहेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

अंशधारकों के अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल द्वारा सामान्य संकल्प की सिफारिश की जाती है।

हित का ज्ञापनः नियुक्त व्यक्ति होने के कारण श्री अशोक दलवाई को छोड़कर, कम्पनी के अन्य निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके सम्बन्धी इस संकल्प में वित्तीय रूप से अथवा अन्य कारणों से जुड़े हुए नहीं है अथवा उनका कोई हित नहीं है।

मद संख्या एजीएम 5/6

कम्पनी द्वारा डॉ. संजीव सक्सेना (DIN: 07545288), सहायक महानिदेशक (आईपी एंड टीएम), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिनांक 12 मई, 2016 से कम्पनी का अपर निदेशक नियुक्त किया गया था। इस प्रकार नियुक्त होने पर, डॉ. संजीव सक्सेना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के आधार पर इस आम बैठक की तारीख तक अपने पद पर बने रहेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

अंशधारकों के अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल द्वारा सामान्य संकल्प की सिफारिश की जाती है।

हित का ज्ञापनः नियुक्त व्यक्ति होने के कारण डॉ. संजीव सक्सेना को छोड़कर, कम्पनी के अन्य निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके सम्बन्धी इस संकल्प में वित्तीय रूप से अथवा अन्य कारणों से जुड़े हुए नहीं है अथवा उनका कोई हित नहीं है।

Agrinnovate India
एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड (AgIn)
जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली 110 012
सीआईएन: यू01400डीएल2011जीओआई226486, ई-मेल: agrinnovateindia@gmail.com
फोन: 011-25842122, 011-25842124

प्रॉक्सी फार्म

पंजीकृत फोलियो सं0 _____

धारित शेयरों की संख्या _____

मैं/हम _____ निवासी _____ जो कि उपरोक्त कंपनी के सदस्य हूं/हैं, एतदद्वारा श्री _____ को या उनकी अनुपस्थिति में श्री _____ को दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को प्रात: 10:00 बजे कमरा नं. 104, महानिदेशक के समिति कक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001 अथवा किसी अन्य स्थगन पर अपनी/हमारी ओर से मताधिकार करने के लिए अपने/हमारे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं।

Affix Re. 1/- Revenue Stamp

हस्ताक्षरित

द्वारा हस्ताक्षरित _____

नोट: प्रॉक्सी को प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी फार्म पर विधिवत मुहर लगी हो, वह पूरा भरा हुआ हो और उस पर हस्ताक्षर किए गए हों तथा साथ ही उसे उक्त बैठक आयोजित होने से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में अवश्य जमा किया जाना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि प्रॉक्सी, कम्पनी का सदस्य ही हो।

अल्प समय में सूचना प्रदान करने के लिए शेयरधारकों की सहमति

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) एवं 136 के अनुसरण में)

सेवा में,

निदेशक मण्डल
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़
जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर,
देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली - 110 012

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी जिसके/जिनके पास नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मेरे/हमारे नाम पर 10/- रूपये प्रत्येक के पूरी तरह से भुगतान किए गए --------इक्विटी शेयर हैं, एतद्द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के अनुसार कम्पनी की वार्षिक आम बैठक को अल्प समय में जारी नोटिस अथवा किसी स्थगन या परिवर्तन द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 (दिन बुधवार) को कमरा संख्या 104, महानिदेशक का समिति कक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001 में प्रातः 10:00 बजे आयोजित करने के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करता हूं/करते हैं।

शेयरधारक का नाम	इक्विटी शेयर की संख्या

हस्ताक्षर

(नाम)

स्थान :
दिनांकः

अध्यक्ष की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

मुझे, दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने और हमारी कम्पनी एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) की पांचवीं वार्षिक आम बैठक में आप सबका अभिनंदन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को पहले ही परिचालित किया जा चुका है और आप सबकी सहमति से मैं इसे इस प्रकार पढ़ता हूं।

कम्पनी, अपने उद्देश्यों को पूरा करने और 'नवोन्मेषी सहभागिता का एक विश्व' निर्माण करने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। कम्पनी का विजन सहभागिता के माध्यम से नवोन्मेष तथा क्षमता चालित कृषि विकास को प्रोत्साहित करना, उसका पोषण करना, उसे बढ़ावा देना और उत्प्रेरक का कार्य करना है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कम्पनी द्वारा अनेक प्रस्तावों पर कार्य किया गया। पांच डीएनए-आधारित जीएमओ स्क्रीनिंग प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करने के लिए भाकृअनुप - राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधान ब्यूरो (NBPGR), नई दिल्ली द्वारा मैसर्स डी.एस.एस. इमेज टेक प्रा. लि., दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए जिसकी सुविधा एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा सुलभ कराई गई। इन प्रौद्योगिकियों की मदद से एक त्वरित/लागत प्रभावी रीति में किसी भी जीएम फसल/गुण के बावजूद किसी नमूने की जीएम स्थिति की जांच करने हेतु प्रभावी जीएमओ स्क्रीनिंग टूल्स की सुविधा प्रदान की जाती है। त्वरित डीएनए निष्कर्षण विधि के साथ मिलकर विज्युअल एवं वास्तविक समय LAMP प्रौद्योगिकियों की मदद से किसानों के खेतों में तथा प्रवेश बंदरगाहों पर ही ऑन-स्पॉट जीएमओ स्क्रीनिंग की सुविधा मिलेगी।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा अनेक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का समन्वय भी किया गया जिनमें शामिल हैं : दिनांक 13-14 जुलाई, 2016 को भाकृअनुप - आईआईएनआरजी द्वारा ऐनिंग डेको फाइन केमीकल कम्पनी, लि., (AnningDecco Fine Chemical Co., Ltd.,), कुमिंग, चीन के दो प्रतिनिधियों के लिए ''एल्यूरिटिक अम्ल प्रौद्योगिकी की तकनीकी जानकारी'' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण व प्रदर्शन कार्यक्रम (भाकृअनुप - केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान, भुवनेश्वर में ''मत्स्य प्रजनन प्रौद्योगिकी'' विषय पर नाइजीरिया के दो नागरिकों के लिए दिनांक 1 जून, 2015 को प्रारंभ 4 माह की अवधि का पश्चिम अफ्रीका कृषि उत्पादकता कार्यक्रम (WAAPP) द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (भाकृअनुप - केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल में ''खाद्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी'' विषय पर नाईजीरिया के दो नागरिकों के लिए छः माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिनांक 15 जून, 2015 से प्रारंभ) (भाकृअनुप - बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ, उत्तर प्रदेश में ''बीज प्रौद्योगिकी'' पर नाइजीरिया के 8 नागरिकों के लिए 6 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिनांक 20 जुलाई, 2015 से प्रारंभ)।

कम्पनी की प्रोत्साहन गतिविधियां

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की गई यथा सीआईआई द्वारा आयोजित खाद्य प्रसंस्करण में मेक इन इंडिया, ''कृषि में तकनीकी संस्कृति को मजबूती प्रदान करना'' विषय पर सीआईआई कृषि प्रौद्योगिकी एवं यांत्रिकीकरण समिट, 2015 (मेक इन इंडिया तथा टिकाऊ कृषि पहल हेतु शासन प्रणाली सुधारों पर राष्ट्रीय सेमिनार(बिक्री, मार्केटिंग एवं व्यवसाय विकास तथा अन्य कॉरपोरेट कार्यों एवं विभागों के साथ इनके समेकन पर कार्यशाला (भारत प्रौद्योगिकी

उन्नयन में खाद्यान्न भण्डारण पर राष्ट्रीय सम्मेलन (अनुसंधान व विकास उद्योग – किसानों आदि के बीच कृषि यांत्रिकीकरण – सम्पर्क विकास में नवोन्मेष पर सम्मेलन जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों की कुछ प्रौद्योगिकियों, उत्पादों एवं समाधानों को प्रमुख उपभोक्ताओं, व्यवसाय खरीदारों, निवेशकों, वैज्ञानिक समुदाय एवं मीडिया को व्यापक पैमाने पर प्रदर्शित किया गया।

प्रक्रियाओं के मानकीकरण हेतु प्रयास : एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत तथा साथ ही राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) के तहत संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने और उन्हें अंतिम रूप देने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

कम्पनी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2014–15 में रूपये 48,99,770/– की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 में अपने कार्यों अथवा प्रचालनों से रूपये 1,67,10,043/– का राजस्व अर्जित किया गया । वित्तीय वर्ष 2014–15 में रूपये 15,43,056/– के मुकाबले वर्तमान वित्तीय वर्ष में रूपये 28,00,119/– का अवमूल्यन दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2014–15 में रूपये 2,89,21,501/– के शुद्ध लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 में रूपये 2,46,70,104/– का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया।

कम्पनी को लगभग 58 करोड़ रूपये के सरप्लस फंड (वर्तमान सावधि जमा की परिपक्वता पर प्राप्त कर उपरांत राशि एवं फलेक्सी जमा में प्राप्त राशि) का निवेश करना था। इस राशि का निवेश करने के लिए श्री सुनिल कुमार सिंह, निदेशक (एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। कुल तीन (56 करोड़ रूपये की एक तथा एक–एक करोड़ की दो) सावधि जमा के तहत 58 करोड़ रूपये का निवेश करने के लिए अपनी बोली प्रस्तुत करने हेतु छब्बीस राष्ट्रीयकृत बैंकों को आमंत्रित किया गया। निवेश के लिए प्राप्त हुई नौ वैध बोलियों पर विचार किया गया। एक वर्ष के लिए 7.35 प्रतिशत वार्षिक की उच्चतम ब्याज दर का प्रस्ताव स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा दिया गया। अतः समिति ने यह निर्णय किया कि 58 करोड़ रूपये की राशि का निवेश उक्त बैंक में किया जाए।

मैं, इस अवसर पर बोर्ड के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों द्वारा समय–समय पर दिए गए मूल्यवान सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग, भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि वैज्ञानिक चयन मण्ड़ल, कम्पनी के सांविधिक एवं आन्तरिक लेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों और कम्पनी के बैंकरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

साभार,

आपका,

ह0/–
(त्रिलोचन महापात्र)
अध्यक्ष
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड,

आपकी कम्पनी के निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा के लेखा परीक्षित विवरण के साथ कम्पनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों पर पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम (स्टैंडएलोन एवं समेकित)

रिपोर्टाधीन अवधि वाले वर्ष में, आपकी कम्पनी का प्रदर्शन इस प्रकार रहा :

(लाख रूपये)

क्रम सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1.	परिचालन से राजस्व	1, 67, 10,043	48,99,770
2.	अन्य आय	5,01,99,730	5,09,36,269
3.	कुल व्यय	3,00,51,939	1,29,91,210
4	सकल लाभ	3,68,57,834	4,28,44,829
5.	कर हेतु प्रावधान	1,21,87,729	1,39,23,328
6.	कर उपरांत शुद्ध लाभ	2, 46, 70,104	2,89,21,501

दिनांक 31.03.2016 को कम्पनी की बैलेंस शीट और दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ व हानि लेखा को तैयार कर लिया गया है जो अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।

प्रचालनों का सारांश

कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2014-15 में जहां कुल 48,99,770 रूपये का राजस्व हासिल किया गया था वहीं वित्तीय वर्ष 2015-16 में कम्पनी ने अपने कार्यों से 1,67,10,043 रूपये का राजस्व हासिल किया है। पूर्ववती वर्ष 2014-15 के लिए रूपये 15,43,056/- के मुकाबले वर्तमान वर्ष में रूपये 28,00,119/- का अवमूल्यन दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 में कम्पनी द्वारा जहां 2,89,21,501 रूपये का शुद्ध लाभ कमाया गया वहीं वित्तीय वर्ष 2015-16 में शुद्ध लाभ 2,46,70,104 रूपये का था।

कम्पनी मामलों की स्थिति

रिपोर्टाधीन वर्ष में, कम्पनी द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों पर कार्य किया गया :

व्यावसायीकरण

पांच डीएनए-आधारित जीएमओ स्क्रीनिंग प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करने के लिए भाकृअनुप -

राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBPGR), नई दिल्ली द्वारा मैसर्स डी.एस.एस. इमेज टेक प्रा. लि., दिल्ली के साथ दिनांक 19 अगस्त, 2015 को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए जिसकी सुविधा एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा सुलभ कराई गई :

- हेक्साप्लेक्स पीसीआर लक्षित छः मार्कर जीन (aadA, bar, hpt, nptII, pat,oa uidA)
- डुप्लेक्स टैक्मैन वास्तविक समय पीसीआर लक्षित P-35S एवं T-nos.
- विज्युअल लूप मध्यस्थ समतापीय प्रवर्धन (LAMP) आधारित प्रौद्योगिकी लक्षित आठ पराजीनी अवयव (P-35S, T-nos, aadA, nptII, uidA, cry1Ac, cry2Ab, cp4-epsps)
- वास्तविक समय लूप मध्यस्थ समतापीय प्रवर्धन (LAMP) आधारित प्रौद्योगिकी लक्षित आठ पराजीनी अवयव (P-35S, T-nos, aadA, nptII, uidA, cry1Ac, cry2Ab, cp4-epsps)
- स्क्रीनिंग के लिए 47 लक्ष्यों को शामिल करते हुए TaqMan वास्तविक समय पीसीआर आधरित बहु लक्षित प्रणाली

इन प्रौद्योगिकियों की मदद से एक त्वरित/लागत प्रभावी रीति में किसी भी आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल/गुण के बावजूद किसी नमूने की जीएम स्थिति को जांचने के लिए प्रभावी जीएमओ स्क्रीनिंग टूल्स की सुविधा मिलती है। तीव्र डीएनए निष्कर्षण विधि के साथ मिलकर विज्युअल एवं वास्तविक समय LAMP प्रौद्योगिकियों से किसानों के खेतों में तथा साथ ही प्रवेश बंदरगाहों पर यथा–स्थान जीएमओ स्क्रीनिंग करने की सुविधा मिलेगी।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

एल्यूरिटिक अम्ल प्रौद्योगिकी की तकनीकी जानकारी: भाकृअनुप – आईआईएनआरजी द्वारा ''एल्यूरिटिक अम्ल प्रौद्योगिकी'' विषय पर एनिंग डिको फाइन केमीकल कम्पनी लि., (AnningDecco Fine Chemical Co., Ltd.), कुमिंग, चीन के दो प्रतिनिधियों के लिए दिनांक 13–14 जुलाई, 2016 को दो दिवसीय प्रशिक्षण व प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

पश्चिम अफ्रीका कृषि उत्पादकता कार्यक्रम (WAAPP): एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने की सुविधा प्रदान की गई :

1. भाकृअनुप – केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान, भुवनेश्वर में ''मत्स्य प्रजनन प्रौद्योगिकी'' पर नाइजीरिया के दो नागरिकों के लिए 4 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिनांक 1 जून, 2015 को प्रारंभ);
2. भाकृअनुप – केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल में ''खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी'' विषय पर नाइजीरिया के दो नागरिकों के लिए छः माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिनांक 15 जून, 2015 को प्रारंभ);
3. भाकृअनुप – बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ, उत्तर प्रदेश में नाइजीरिया के 8 नागरिकों के लिए छः माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिनांक 20 जुलाई, 2015 को प्रारंभ)

कम्पनी की प्रोत्साहन गतिविधियां: एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की गई यथा सीआईआई द्वारा आयोजित खाद्य प्रसंस्करण में मेक इन इंडिया, ''कृषि में तकनीकी संस्कृति को मजबूती प्रदान करना'' विषय पर सीआईआई कृषि

प्रौद्योगिकी एवं यांत्रिकीकरण समिट, 2015 (मेक इन इंडिया तथा टिकाऊ कृषि पहल हेतु शासन प्रणाली सुधारों पर राष्ट्रीय सेमिनार (बिक्री, मार्केटिंग एवं व्यवसाय विकास तथा अन्य कॉरपोरेट कार्यों एवं विभागों के साथ इनके समेकन पर कार्यशाला (भारत प्रौद्योगिकी उन्नयन में खाद्यान्न भण्डारण पर राष्ट्रीय सम्मेलन (अनुसंधान व विकास उद्योग – किसानों आदि के बीच कृषि यांत्रिकीकरण – सम्पर्क विकास में नवोन्मेष पर सम्मेलन जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों की कुछ प्रौद्योगिकियों, उत्पादों एवं समाधानों को प्रमुख उपभोक्ताओं, व्यवसाय खरीदारों, निवेशकों, वैज्ञानिक समुदाय एवं मीडिया को व्यापक पैमाने पर प्रदर्शित किया गया।

प्रक्रियाओं के मानकीकरण हेतु प्रयास : एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत तथा साथ ही राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) के तहत संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने और उन्हें अंतिम रूप देने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

भविष्य की ओर दृष्टि

कम्पनी का रणनीतिपरक उद्देश्य उपभोक्ताओं एवं प्रमुख हितधारकों की जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक मजबूत संगठन का निर्माण करना और सतत आधार पर कृषि के विकास में योगदान करना है।

इस दिशा में, कम्पनी द्वारा ऐसी प्रक्रियाओं व नीतियों का मानकीकरण करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है जो कि प्रत्येक के लिए सुलभ होंगी और कम्पनी की सेवा तथा प्रस्तुत समाधान व प्रचालन प्रक्रियाओं में लागू होगी।

लाभांश

कम्पनी के निदेशक विचाराधीन वर्ष के लिए किसी प्रकार के लाभांश की सिफारिश नहीं करते।

रिजर्व में राशि का स्थानान्तरण

कम्पनी के बोर्ड द्वारा अपने रिजर्व संग्रह में रूपये 2,46,70,104/– ले जाने का प्रस्ताव किया गया है।

निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अपर निदेशक एवं कम्पनी के निदेशक मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया ।

एसोसिएशन ऑफ कम्पनी के अनुच्छेद की धारा 93 के तदनुसार, डॉ. त्रिलोचन महापात्र कम्पनी की आगामी वार्षिक आम बैठक तक अपर निदेशक का पद संभालेंगे और वे पुनः नियुक्ति हेतु पात्र हैं।

श्री छबिलेन्द्र राउल, अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कम्पनी का अपर निदेशक एवं उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

एसोसिएशन ऑफ कम्पनी के अनुच्छेद की धारा 93 के तदनुसार, श्री छबिलेन्द्र राउल कम्पनी की आगामी वार्षिक आम बैठक तक अपर निदेशक का पद संभालेंगे और वे पुनः नियुक्ति हेतु पात्र हैं।

श्री अशोक दलवाई, अपर सचिव, डीओएसी को कम्पनी का अपर निदेशक नियुक्त किया गया।

एसोसिएशन ऑफ कम्पनी के अनुच्छेद की धारा 93 के तदनुसार, श्री अशोक दलवाई कम्पनी की

आगामी वार्षिक आम बैठक तक अपर निदेशक का पद संभालेंगे और वे पुनः नियुक्ति हेतु पात्र हैं। बोर्ड द्वारा इनकी पुनः नियुक्ति की सिफारिश की जाती है।

श्री अविनाश के. श्रीवास्तव, आईएएस, अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग को दिनांक 8 सितम्बर, 2015 से कम्पनी के निदेशक मण्डल में अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, लेकिन अपनी पदोन्नति एवं कृषि मंत्रालय से स्थानान्तरण के कारण इन्होंने अपर निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया।

श्री पी.के. पुजारी ने अपनी पदोन्नति एवं कृषि मंत्रालय से स्थानान्तरण के कारणकम्पनी से अपना त्यागपत्र दे दिया था।

डॉ. एस. अय्यप्पन, कम्पनी के अधयक्ष ने सचिव, डेयर तथा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने पर एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के निदेशक पद से अपना त्यागपत्र दे दिया ।

श्री आर. राजगोपाल, अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपनी पदोन्नति एवं कृषि मंत्रालय से स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया।

सहायक महानिदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने पर डॉ. एस. मौर्य ने एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के निदेशक मण्डल से अपना त्यागपत्र दे दिया।

डॉ. पी.एस. पाण्डेय, कार्यकारी सहायक महानिदेशक, आईपीटीएम इकाई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, डॉ. पी.एस. पाण्डेय ने सहायक महानिदेशक (आईपी एंड टीएम) इकाई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तौर पर नियमित नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के निदेशक पद से अपना त्यागपत्र दे दिया।

डॉ. संजीव सक्सेना, सहायक महानिदेशक (आईपी एंड टीएम), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कम्पनी का अपर निदेशक नियुक्त किया गया। डॉ. संजीव सक्सेना कम्पनी की आगामी वार्षिक आम बैठक तक अपर निदेशक का पद संभालेंगे। बोर्ड द्वारा इनकी पुनः नियुक्ति की सिफारिश की जाती है।

बोर्ड द्वारा डॉ. एस. अय्यप्पन, श्री अविनाश के. श्रीवास्तव, श्री पी.के. पुजारी, श्री आर. राजगोपाल, डॉ. एस. मौर्य तथा डॉ. पी.एस. पाण्डेय द्वारा कम्पनी में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए उल्लेखनीय योगदान की सराहना की गई।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :

बैठक की तारीख	बैठक में भाग लेने वाले निदेशकों की संख्या
8.05.2015	4
8.09.2015	6
15.10.2015	3

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा इनकी नियुक्ति के समय ली जाए और उसे निदेशक की रिपोर्ट में सार्वजनिक किया जाए।

वार्षिक रिटर्न का सार

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('दि एक्ट') की धारा 92(3) तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में, वार्षिक रिटर्न का सार रिपोर्ट के साथ एमजीटी-9 के प्रारूप में संलग्न है।

सांविधिक लेखा-परीक्षक, उनकी रिपोर्ट और वित्तीय विवरण का नोट

मैसर्स वीएसडी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेंट को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया था। मैसर्स एस.पी. चोपड़ा एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, दिल्ली को वर्ष 2015-16 के लिए कम्पनी का आंतरिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया था।

अनुसूची के नोट्स के साथ सांविधिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में ऐसा कोई आकलन अथवा विशिष्टता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है जिस पर पुन: टिप्पणी करने अथवा स्पष्टीकरण देने की जरूरत हो। लेखा के नोट्स स्वत: व्याख्यात्मक हैं और इस बारे में कोई और टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।

पुन: कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 (8) (क क) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 619 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किसी सरकारी कम्पनी के लेखा परीक्षक नियुक्त अथवा पुन: नियुक्त किए जाएँ और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण कम्पनी द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में किया जाए। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अभी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जानी है। आम बैठक में बोर्ड को अधिकृत किया जाए कि उसके द्वारा कार्य की मात्र और प्रचलित महंगाई दर में वृद्धि को ध्यान में रखकर वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए लेखा परीक्षकों का समुचित पारिश्रमिक निर्धारित किया जाए।

सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 204 एवं नियमावली की शर्तों के तहत मैसर्स अरूणेश दुबे एंड कम्पनी, कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

इस रिपोर्ट के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणी के संदर्भ में, निदेशक यह बताना चाहेंगे कि कम्पनी नियमावली, 2014 की धारा 149 एवं नियम 4 (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) के अनुसरण में कम्पनी द्वारा अभी तक किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है।

इस संबंध में, निदेशक यह बताना चाहेंगे कि कम्पनी ने स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है।

उपरोक्त के अलावा, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में ऐसा कोई आकलन अथवा विशिष्टता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है जिस पर पुन: टिप्पणी करने अथवा स्पष्टीकरण देने की जरूरत हो। लेखा के नोट्स स्वत: व्याख्यात्मक हैं और इस बारे में कोई और टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों अथवा समझौतों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कम्पनी द्वारा किसी प्रकार का अनुबंध अथवा समझौता नहीं किया गया।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले तात्विक बदलाव

अक्तूबर, 2014 से कम्पनी ने जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली - 110 012 स्थित अपने कॉरपोरेट कार्यालय से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था।

सार्वजनिक जन, हितधारकों, उपभोक्ताओं एवं विभिन्न मुद्दों की दृष्टि से पंजीकृत कार्यालय की स्थिति का पता अति महत्वपूर्ण होता है। अत: कम्पनी के बोर्ड द्वारा दिनांक 8 सितम्बर, 2015 से कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को कमरा नं. 402, कृषि भवन, नई दिल्ली से जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली - 110 012 में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के मध्य कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई अन्य तात्विक परिवर्तन और प्रतिब)ताएं नहीं हैं।

लेखा परीक्षा (ऑडिट) समिति

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

क) श्री सुनिल कुमार सिंह - अधयक्ष

ख) डॉ. एस.एस. होन्नाप्पागोल - सदस्य

ग) डॉ. संजीव सक्सेना - सदस्य

लेखा परीक्षा समिति, कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसकी वित्तीय सूचना के खुलासे पर नजर रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और साख वाले हों; अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करेगी; आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, स्टाफ स्थिति और विभाग के अधिकारियों की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा की आवर्ती सहित आन्तरिक लेखा परीक्षा के कार्यों की उपयुक्तता की समीक्षा करेगी; तथा साथ ही आन्तरिक लेखा परीक्षा के साथ चर्चा करके कोई उल्लेखनीय परिणाम तथा अनुवर्ती कार्रवाई, आदि सुनिश्चित करेगी।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कम्पनी बोर्ड द्वारा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें शामिल सदस्य हैं :

1. डॉ. एस.एस. होन्नाप्पागोल, निदेशक
2. डॉ. संजीव सक्सेना, निदेशक

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को किसी निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं तथा स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदण्ड तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही समिति को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करने; यह सुनिश्चित करने कि पारिश्रमिक का स्तर एवं संयोजन

न्यायसंगत तथा पर्याप्त हो, प्रदर्शन और पारिश्रमिक का सह-संबंध स्पष्ट हो और इससे प्रदर्शन बेंचमार्क पूरे होते हों तथा इसमें निर्धारित तथा प्रोत्साहन वेतन के बीच एक संतुलन शामिल हो; की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। समिति को प्रत्येक निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और प्रदर्शन के आधार पर इसकी नियुक्ति करने अथवा हटाने की सिफारिश का दायित्व भी सौंपा गया है।

धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी तथा निवेश का विवरण

ऋण का विवरण

क्र.सं.	ऋण की तारीख	ऋण लेने वाले का विवरण	राशि	प्रयोजन जिसके लिए ऋण लेने वाले द्वारा ऋण का उपयोग किया जाना है	समयावधि जिसके लिए ऋण दिया गया है	बी. आर. की तारीख	एस.आर. की तारीख (यदि वांछित हो)	ब्याज दर	प्रतिभूति
				शून्य					

निवेश का विवरण :

क्र.सं.	निवेश की तारीख	निवेश का विवरण	राशि	प्रयोजन जिसके लिए प्राप्तकर्ता द्वारा निवेश का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है	बी.आर. की तारीख	एस.आर. की तारीख (यदि वांछित हो)	वसूली की अपेक्षित दर
			शून्य				

प्रदान की गई गारंटी/प्रतिभूति का विवरण :

क्र.सं.	प्रतिभूति/ गारंटी प्रदान करने की तारीख	प्राप्तकर्ता का विवरण	राशि	प्रयोजन जिसके लिए प्राप्तकर्ता द्वारा गारंटी/ प्रतिभूति का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है	बी. आर. की तारीख	एस.आर. की तारीख (यदि वांछित हो)	कमीशन
			शून्य				

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्च

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्च का विवरण इस प्रकार है :

क) ऊर्जा संरक्षण :

संरक्षण के लिए उठाए गए कदम — **लागू नहीं**

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए उठाए गए कदम — **लागू नहीं**

ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश	**लागू नहीं**

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन :

प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए प्रयास	**लागू नहीं**
उत्पन्न लाभ	**लागू नहीं**
अनुसंधान व विकास पर खर्च, यदि कोई है	**लागू नहीं**
आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण, यदि कोई है	**लागू नहीं**
आयात का वर्ष	**लागू नहीं**
क्या आयातित प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेशन किया गया	**लागू नहीं**
ऐसे क्षेत्र जहां आयातित प्रौद्योगिकी का समावेशन नहीं किया जा सका, यदि कोई है	**लागू नहीं**

ग) विदेशी मुद्रा का अर्जन/खर्च :

अर्जन अथवा आय	रूपये 1,54,10,043/–
खर्च	शून्य

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण

कम्पनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आन्तरिक वित्त द्वारा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में नियंत्रण किया जाता है।

जमा

कम्पनी ने किसी प्रकार का नियत (फिक्शड) जमा स्वीकार नहीं किया है और इस प्रकार आज की तारीख में तुलन–पत्र अथवा बैलेंस शीट के अनुसार मूल अथवा ब्याज के रूप में कोई राशि बकाया नहीं थी।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नीति

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के निदेशकों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) समिति का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष के रूप में श्री छबिलेन्द्र राउल को तथा अन्य सदस्यों के रूप में डॉ. संजीव सक्सेना तथा कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शामिल किया गया।

उपरोक्त समिति को बोर्ड को एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नीति की रूपरेखा तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है जिसमें कम्पनी द्वारा किए जाने वाले कार्यों, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की निगरानी तथा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली धनराशि की सिफारिश करने का उल्लेख किया जाना है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि :

क) दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया;

ख) दिनांक 31 मार्च, 2016 को कम्पनी के मामलों (स्टेट ऑफ अफेयर्स) तथा इस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ/हानि की सही और स्पष्ट स्थिति देने के लिए निदेशकों द्वारा ऐसी लेखा नीतियां अपनाई गई तथा उपयुक्त निर्णय और आकलन विवेकपूर्ण ढंग से किए गए;

ग) धोखाधडी और अन्य अनियमितताओं को रोकने अथवा इनका पता लगाने और कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूपण में उचित लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए निदेशकों द्वारा उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई;

घ) निदेशकों द्वारा अपेक्षाओं के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए गए;

ड) निदेशकों द्वारा सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उचित प्रणालियां तैयार की गई और ऐसी प्रणालियां प्रचालन के कार्यान्वयन में पर्याप्त एवं प्रभावी थीं।

अभिस्वीकृति

कम्पनी के निदेशक सभी स्तरों पर कार्यरत कम्पनी के कर्मचारियों की सराहना करते हैं जिन्होंने कम्पनी की प्रगति और प्रदर्शन में अपना योगदान दिया है।

आपके निदेशक, कम्पनी के निदेशक बोर्ड के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए मूल्यवान सहयोग व मार्गदर्शन के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथ ही मैं कम्पनी की प्रगति में कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग, भारत सरकार (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (कम्पनीके सांविधिक तथा आन्तरिक लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक विभाग के अधिकारियों तथा कम्पनी के बैंकरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति अपनी कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करता हूं।

कृते निदेशक बोर्ड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 15.09.2016

ह0/-
(त्रिलोचन महापात्र)

फार्म सं. एमजीटी 9
वार्षिक लाभ का सार
दिनांक 31.03.2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा कम्पनी नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) (प्रबंधन एवं प्रशासन) के अनुसार

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i	सीआईएन (CIN)	U01400DL2011GOI226486
ii	पंजीकरण की तारीख	19/10/2011
iii	कम्पनी का नाम	एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
iv	कम्पनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	सरकारी सार्वजनिक कम्पनी
v	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	जी–2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली– 110 012
vi	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट (यदि कोई है) का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण	लागू नहीं

II. कम्पनी की प्रमुख व्यवसाय गतिविधियां

कम्पनी के टर्नओवर में 10 प्रतिशत अथवा अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यवसाय गतिविधियों को बताया जाए।

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि समूह कोड	मुख्य गतिविधि का नाम एवं विवरण	व्यवसाय गतिविधि कोड	व्यवसाय गतिविधि का कोड	कम्पनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	A	कृषि	A4	प्रणाली में सृजित बौद्धिक सम्पदा का संरक्षण एवं रख–रखाव करना और सार्वजनिक हित के लिए इसका व्यावसायीकरण/वितरण करना	0 %
2	A	कृषि	A4	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों यथा बीज, रोपण सामग्री, टीका, नैदानिकी, अनेक अन्य जैव प्रौद्योगिकीय उत्पाद, अन्य मूल्य वर्धित निवेश एवं उत्पाद, फार्म उपकरण व मशीनरी, अन्य प्रौद्योगिकियां आदि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की उत्पाद प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का उत्पादन, विपणन एवं उन्हें प्रचलित करना।	64 %

3	M	प्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	M3	परामर्श सेवाओं, अनुबंधीय अनुसंधान, कस्टमाइज्ड क्षमता निर्माण आदि जैसी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कौशल सेवाओं का प्रोफेशनल विस्तार प्रदान करना।	92.3%
4	A	कृषि	A4	भारत से बाहर विशेषकर अफ्रीका एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र में अनुसंधान एवं उत्पादन फार्म की स्थापना करना। विभिन्न कार्यशालाओं तथा प्रगति के माधयम से ग्लोबल ब्राण्ड का निर्माण करने की पहल के साथ संवर्धन निर्माण पहल का हिस्सा बनना	0%
5	M	प्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	M3	विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि इंजीनियरिंग आदि में उत्पादन और प्रसंस्करण संयंत्रों पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना	0%
6	A	कृषि	A4	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा तथा अन्य क्षमता निर्माण में सार्वजनिक–निजी भागीदारी का सृजन करना	0%
7	M	प्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	M3	मांग चालित अनुसंधान में सहयोग करने के लिए बाजार बुद्धि चातुर्य, मूल्यीकरण एवं मूल्यांकन मुद्दों जैसे प्रबंधन के साथ कृषि विज्ञान में समेकित कुशलता वाली गतिविधियों को चलाना	0%

III. स्वामित्व, सहायक तथा एसोसिएट कम्पनियों का विवरण

क्र.सं.	कम्पनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन (CIN/GLN)	स्वामित्व/सहायक/ एसोसिएट	उपलब्ध शेयरों का %	लागू धारा
1	शून्य				

IV. शेयरधारक पैटर्न (कुल इक्विटी में प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी विवरण)

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान बदलाव प्रतिशत	
	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %		
क) प्रोमोटर्स										

(1) भारतीय			शून्य				शून्य			
क) वैयक्तिक/ एचयूएफ	शून्य	60	60	0	शून्य	60	60	0		
ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार	शून्य	4,99,99,940	4,99,99,940	100	शून्य	4,99,99,940	4,99,99,940	100	शून्य	
ग) निकाय कॉरपोरेट			शून्य				शून्य			
घ) बैंक/ वित्तीय संस्थान			शून्य				शून्य			
ड) कोई अन्य			शून्य				शून्य			
उप योग: (क) (1)										
(2) विदेशी										
क) एनआरआई - वैयक्तिक			शून्य				शून्य		शून्य	
ख) अन्य वैयक्तिक			शून्य				शून्य			
ग) निकाय कॉरपोरेट			शून्य				शून्य			
घ) बैंक/ वित्तीय संस्थान			शून्य				शून्य			
ड) कोई अन्य ...			शून्य				शून्य			
उप योग : (क) (2)										
प्रोमोटर की कुल शेयर धारिता क = (क) (1) + (क) (2)										
ख. सार्वजनिक शेयर धारिता										

(1) संस्थान										
क) म्यूचुअल फंड			शून्य				शून्य		शून्य	
ख) बैंक/ वित्तीय संस्थान			शून्य				शून्य			
ग) केन्द्र सरकार			शून्य				शून्य			
घ) राज्य सरकार			शून्य				शून्य			
ड) उद्यम पूंजी फंड			शून्य				शून्य			
च) बीमा कम्पनियां			शून्य				शून्य			
छ) एफआई आईएस			शून्य				शून्य			
ज) विदेशी उद्यम पूंजी फंड			शून्य				शून्य			
झ) अन्य (स्पष्ट करें)			शून्य				शून्य			
उप योग (ख) (1):										
(2) गैर संस्थान										
क) निकाय कॉरपोरेट			शून्य				शून्य		शून्य	
i) भारतीय			शून्य				शून्य			
ii) विदेशी			शून्य				शून्य			
ख) वैयक्तिक			शून्य				शून्य			
i) रूपये एक लाख तक सामान्य शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक			शून्य				शून्य			

ii) रूपये एक लाख से अधिक सामान्य शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक			शून्य				शून्य			
ग) अन्य (स्पष्ट करें)			शून्य				शून्य			
उप योग (ख) (2) :										
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)= (ख) (1) . (ख)(2)			शून्य				शून्य		शून्य	
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर			शून्य				शून्य		शून्य	
समग्र योग (क + ख + x)			5 ,00 ,00 ,000				5 ,00 ,00 ,000		शून्य	

प्रोमोटर की शेयरधारिता

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयर धारिता में बदलाव का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी %	कुल शेयरों में बंधक शेयर भारिता का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी %	कुल शेयरों में बंधक शेयर भारिता का %	
1.	श्री हरिहर मिश्रा के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	4,99,99,940	99.99988	शून्य	49999940	99.99988	शून्य	शून्य
2.	श्रीमती निरंजन कौर	10	0.00002	शून्य	10	0.00002	शून्य	शून्य
	श्रीमती अलका आहूजा	10	0.00002	शून्य	10	0.00002	शून्य	शून्य
	श्री विजय सिंह	10	0.00002	शून्य	10	0.00002	शून्य	शून्य
	श्री विनोद कुमार सिंह	10	0.00002	शून्य	10	0.00002	शून्य	शून्य
	श्री रविनेश कुमार	10	0.00002	शून्य	10	0.00002	शून्य	शून्य
	श्री जितेन्द्र मिश्रा	10	0.00002	शून्य	10	0.00002	शून्य	शून्य

प्रोमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन है तो कृपया स्पष्ट करें)

	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी%
वर्ष के प्रारंभ में	5,00,00,000	100	5,00,00,000	100
वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में आंकडा–वार वृद्धि/कमी (वृद्धि/कमी यथा आवंटन/ स्थानान्तरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि के लिए कारण स्पष्ट करें)	कोई परिवर्तन नहीं			
वर्ष की समाप्ति पर	5,00,00,000	100	5,00,00,000	100

शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रोमोटर्स एवं जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा)

	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		**वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता**	
प्रत्येक शीर्ष दस शेयरधारकों के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी%	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी%
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य			
वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में आंकडा–वार वृद्धि/कमी (वृद्धि/कमी यथा आवंटन/ स्थानान्तरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि के लिए कारण स्पष्ट करें)	शून्य			
वर्ष की समाप्ति पर (अथवा अलग होने की तारीख पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हैं)	शून्य			

निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

शून्य

	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		**वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता**	
प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी%	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी%
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य			
वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में आंकडा–वार वृद्धि/कमी (वृद्धि/कमी यथा आवंटन/स्थानान्तरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि के लिए कारण स्पष्ट करें)				
वर्ष की समाप्ति पर	शून्य			

V. कर्जदारी : लागू नहीं

बकाया /उपार्जित ब्याज सहित कम्पनी की कर्जदारी लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं				
	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	
iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी अथवा ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
जमा	शून्य	शून्य	शून्य	
कमी	शून्य	शून्य	शून्य	
निवल बदलाव			शून्य	
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कर्जदारी अथवा ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	
iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंधकीय निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक — लागू नहीं

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण		प्रबंधकीय निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/अथवा प्रबंधक का नाम			कुल राशि
1	**सकल वेतन**					
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	लागू नहीं				
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत पूर्व निर्धारित का मूल्य	लागू नहीं				

	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	लागू नहीं				
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं				
3	स्वीट इक्विटी	लागू नहीं				
4	कमीशन लाभ के प्रतिशत के रूप में अन्य (स्पष्ट करें)	लागू नहीं				
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	लागू नहीं				
	कुल (क)	लागू नहीं				
	अधिनियम के अनुसार सीमित					

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिकः लागू नहीं

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम			कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक				
	क) बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने के लिए फीस			शून्य	
	ख) कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल (1)				
2	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक				
	क) बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने के लिए फीस	शून्य	शून्य	शून्य	
	ख) कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल (2)				
	कुल (ख)=(1+2)				
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा				

ग. प्रबंधकीय निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/अथवा प्रबंधक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			कुल
1	सकल वेतन	सीईओ	कम्पनी सचिव	सीएफओ	

	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	13,61,895	11,05,875	शून्य	25,49,406
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत पूर्व निर्धारित का मूल्य		शून्य	शून्य	
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	
3	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	
4	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	शून्य	शून्य	शून्य	
	अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल				

VII. पेनल्टी/दण्ड/अपराधों का समझौता

किस्म	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	पेनल्टी/दण्ड /लगाई गई समझौता फीस का विवरण	एथॉरिटी (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय)	यदि कोई अपील की गई है तो कृपया विवरण दें
क. कम्पनी					
पेनल्टी	शून्य				
दण्ड	शून्य				
समझौता	शून्य				
ख. निदेशक					
पेनल्टी	शून्य				
दण्ड	शून्य				
समझौता	शून्य				
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
पेनल्टी	शून्य				
दण्ड	शून्य				
समझौता	शून्य				

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

CIN :U01400DL2011GOI226486

31 मार्च, 2016 को तुलन-पत्र अथवा बैलेंस शीट

(राशि रूपये में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
I.	**इक्विटी एवं देयताएं**			
(1)	**शेयरधारकों का फंड**			
	क) शेयर पूंजी	2	50,00,00,000	50,00,00,000
	ख) रिजर्व एवं सरप्लस	3	10,81,28,484	8,34,58,380
			60,81,28,484	58,34,58,380
(2)	**वर्तमान देयताएं**			
	क) अन्य वर्तमान देयताएं	4	29,00,600	36,27,155
	ख) प्रावधान	5	25,16,201	16,36,506
	कुल		**61,35,45,285**	**58,87,22,041**
II.	**परिसम्पत्तियां**			
	गैर-आवर्ती परिसम्पत्ति			
(1)	क) नियत परिसम्पत्तियां :			
	(i) गोचर अथवा मूर्त परिसम्पत्तियां	6	68,11,925	94,25,941
	(ii) अगोचर अथवा अमूर्त परिसम्पत्तियां		-	-
	ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	15	10,77,049	8,68,540
(2)	**चालू परिसम्पत्तियां**			
	क) व्यापार प्राप्तियां	7	7,85,400	10,47,200
	ख) नकद एवं बैंक बैलेंस	8	60,23,69,256	57,59,87,753
	ग) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	9		13,92,607
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखा नोट्स	1	25,01,655	
	कुल		**61,35,45,285**	**8,87,22,041**

संलग्न समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

वी एस डी एंड एसोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या : 008726एन

ह0/-
भागीदार : अंकित गर्ग
सदस्यता संख्या : 515099

ह0/-
छबिलेन्द्र राउल
अपर निदेशक
डीआईएन : 01003691

ह0/-
त्रिलोचन महापात्र
अपर निदेशक
डीआईएन : 07556629

ह0/-
निधि गोधा
कम्पनी सचिव

ह0/-
आवेश यादव
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.09.2016

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

CIN :U01400DL2011GOI226486

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण

(राशि रूपये में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	प्रचालनों से राजस्व	10	1,67,10,043	48,99,770
II.	अन्य आय	11	5,01,99,730	5,09,36,269
III.	कुल राजस्व (I+II)		6,69,09,773	5,58,36,039
IV.	व्यय			
	कर्मचारी लाभ व्यय	12	72,99,814	37,97,287
	अवमूल्यन	6	28,00,119	15,43,056
	अन्य व्यय	13	1,98,90,402	75,80,005
	वित्तीय व्यय	14	61,604	70,862
V	कुल व्यय		3,00,51,939	1,29,91,210
V.	आपवादिक एवं असाधारण मदों तथा कर के साथ पूर्व लाभ (III-IV)		3,68,57,834	4,28,44,829
VI.	आपवादिक मदें		-	-
VII.	असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ		3,68,57,834	4,28,44,829
VIII.	असाधारण मदें		-	-
IX.	कर – पूर्व लाभ		3,68,57,834	4,28,44,829
X.	कर संबंधी व्यय :			
	पिछले वर्ष के कर संबंधी व्यय :			
	(1) चालू कर		1,22,11,061	1,35,09,467
	(2) आस्थगित कर	15	(2,08,509)	4,24,611
	(2) अवधि पूर्व कर समायोजन		1,85,177	(10,750)
XI.	लगातार चल रहे प्रचालन की अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		2,46,70,104	2,89,21,501
XII.	अनियमित प्रचालन से लाभ		–	–
XIII.	अनियमित प्रचालन का कर संबंधी व्यय		–	–
XIV.	कर उपरांत अनियमित प्रचालन से लाभ (XII-XIII)		–	–

XV.	अवधि विशेष के लिए लाभ (XI+XIV)		2,46,70,104	2,89,21,501
XVI.	प्रति शेयर मूल एवं अवमिश्रित आय (रूपये में)		0.49	0.58
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा नोट्स	1		

संलग्न समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

वी एस डी एंड एसोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या : 008726एन

ह0/-
छबिलेन्द्र राउल
अपर निदेशक
डीआईएन : 01003691

ह0/-
त्रिलोचन महापात्र
अपर निदेशक
डीआईएन : 07556629

ह0/-
भागीदार : अंकित गर्ग
सदस्यता संख्या : 515099

ह0/-
निधि गोधा
कम्पनी सचिव

ह0/-
आवेश यादव
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.09.2016

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
CIN :U01400DL2011GOI226486
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(राशि रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	3,68,57,834	4,28,44,829
के लिए समायोजन :		
अवमूल्यन अथवा मूल्य ह्रास	28,00,119	15,43,056
ब्याज से आय	(5,01,86,016)	(5,09,33,533)
कार्यशील पूंजी में बदलाव से पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)	(1,05,28,063)	(65,45,648)
कार्यशील पूंजी में बदलाव :		
प्रचालन परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
व्यापार प्राप्तियां	(2,61,800)	(8,47,200)
अन्य चालू अथवा वर्तमान परिसम्पत्तियां	(498)	1,08,021
प्रचालन देनदारियों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन		
अन्य चालू देनदारियां	2,63,718	(9,76,188)
अल्पावधि प्रावधान	8,79,695	15,33,601
शुद्ध आय कर (भुगतान किया गया)/वापसी	(1,35,04,789)	(1,51,30,231)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह / (उपयोग में) (क)	(2,26,28,137)	(2,18,57,645)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी का प्रवाह		
नियत परिसम्पत्तियों पर पूंजी व्यय	(1,86,104)	(1,02,21,272)
सावधि जमा पर ब्याज	5,01,86,016	5,09,33,533
सावधि जमा	(1,91,09,063)	(2,14,81,639)
नियत परिसम्पत्तियों के लिए ऋणदाता	(9,90,273)	9,90,273
निवेश करने वाली गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह/(उपयोग में) (ख)	2,99,00,577	2,02,20,895

ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी का प्रवाह	–	–
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी का प्रवाह / (उपयोग में) (ग)	–	–
नकद तथा नकद समतुल्य (क + ख + ग) में निवल वृद्धि/(कमी)	72,72,440	(16,36,750)
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य	68,05,744	84,42,494
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समतुल्य	1,40,78,184	68,05,744

संलग्न समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

वी एस डी एंड एसोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या : 008726एन

ह0/-
भागीदार : अंकित गर्ग
सदस्यता संख्या : 515099

ह0/-
छबिलेन्द्र राउल
अपर निदेशक
डीआईएन : 01003691

ह0/-
त्रिलोचन महापात्र
अपर निदेशक
डीआईएन : 07556629

ह0/-
निधि गोधा
कम्पनी सचिव

ह0/-
आवेश यादव
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.09.2016

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा संबंधी महत्वपूर्ण नीतियां एवं अन्य लेखा नोट्स

नोट संख्या : 1

(I) कॉरपोरेट सूचना

(क) कम्पनी को दिनांक 19 अक्तूबर, 2011 को निगमित किया गया था। कम्पनी, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रलय के तहत भारत सरकार की एक शत प्रतिशत कम्पनी है।

(ख) श्री आवेश यादव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के कर्मचारी हैं और वे कम्पनी के कार्यों को देख रहे हैं। इस बारे में न तो उन्हें अथवा भाकृअनुप को किसी प्रकार का भुगतान किया जाता है।

(ग) कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी 100 (सौ) करोड़ रूपये है। जबकि जारी की गई, अंशदान की गई व भुगतान की गई शेयर पूंजी 50 (पचास) करोड़ रूपये है।

(II) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(क) वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार : इन वित्तीय विवरणों को उचित मानों पर मापे जाने वाले कुछ निश्चित वित्तीय उपकरणों को छोड़कर उपार्जित आधार पर ऐतिहासिक लागत, जैसी कि अधिसमय के अनुसार लागू है, के तहत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धान्तों (GAAP) के अनुसार तैयार किया जाता है। सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धान्तों (GAAP) में कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले कम्पनी अधिनियम, 2013 ('दि एक्ट') की धारा 133 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान (अधिसूचित की सीमा तक) के निर्धारित अधिदेशीय लेखा मानक शामिल होते हैं। कम्पनी द्वारा लगातार लेखा नीतियों को लागू किया गया है और पिछले वर्ष में इनका लगातार उपयोग किया गया है।

(ख) प्राक्कलनों का प्रयोग : प्राक्कलन तैयार करने तथा अनुमान लगाने हेतु सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के लिए व्यवस्था किए जाने की जरूरत है जो कि परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों की सूचित राशि पर प्रभाव डालती है तथा उस पर रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों की तारीख एवं राजस्व तथा व्यय की सूचित राशि का प्रकटीकरण करती है। भौतिक परिणामों और प्राक्कलनों के अन्तर को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें परिणामों को कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) राजस्व मान्यता

1. ब्याज से अर्जित आय के लिए नीति

बकाया राशि एवं लागू ब्याज दर को धयान में रखते हुए सावधि जमा तथा फलैक्सी जमा लेखा पर ब्याज से मिले राजस्व को समायानुपात आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

2. रॉयल्टी आय के लिए नीति

लाइसेंसिंग समझौते अथवा करार के अनुसार देय आधार पर रॉयल्टी को प्राप्त किया जाता है तथा मान्यता प्रदान की जाती है।

3. लाइसेंस फीस के लिए नीति

लाइसेंस फीस को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जबकि संबंधित लाइसेंस समझौते अथवा करार के अनुसार लाइसेंस विशेष के बारे में लाइसेंसधारक को पूरी तकनीकी जानकारी, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। लाइसेंस प्रदान करने के लिए होने वाला व्यय लाइसेंस की लागत (खर्च) के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नीति

संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किए जाने पर ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने से प्राप्त राजस्व को मान्यता प्रदान की जाती है।

(घ) आकस्मिक देयता अथवा देनदारी एवं प्रावधान

किसी प्रावधान को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब कम्पनी के पास मौजूदा दायित्व हो और पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप, यह संभव हो कि इस दायित्व का समाधान करने के लिए संसाधनों का निर्गम करना आवश्यक होगा और जिसके बारे में, विश्वसनीय आकलन बनाए जा सकते हैं। प्रावधानों में इसके मौजूदा मूल्य के लिए छूट नहीं दी जाती है और इन्हें बैलेंस शीट की तारीख में दायित्व का समाधान करने के लिए अपेक्षित आकलन के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। इनकी प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख को समीक्षा की जाती है और बेहतर आकलनों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, आकस्मिक परिसम्पत्तियों/देनदारियों अथवा देयताओं को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही उन्हें प्रकट किया जाता है।

(च) अचल परिसम्पत्तियां

अचल परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर घटे संचित अवमूल्यन पर दर्शाया जाता है। लागत में कोई भी ऐसी लागत शामिल हो सकती है जो इसके अपेक्षित प्रयोग हेतु इसकी कार्यशील स्थिति के लिए परिसम्पत्तियों को महत्वपूर्ण बनाती है।

(छ) अवमूल्यन अथवा मूल्यह्रास

अगोचर परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन अथवा मूल्य-ह्रास को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के तदनुसार उपयोगपूर्ण अवधि पर घटती मूल्य विधि के आधार पर लगाया जाता है । वर्ष के दौरान खरीदी अथवा बेची गई परिसम्पत्ति के लिए अवमूल्यन अथवा मूल्य-ह्रास की गणना प्रो-रेटा आधार पर की जाती है।

(ज) चालू (प्रचलित) कर तथा आस्थगित कर

आय कर व्ययों में चालू आयकर (आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि) तथा आस्थगित कर प्रभार जमा (उस के लिए लेखा आय और कर योग्य आय के बीच समयावधि के अन्तरों के कर प्रभावों को प्रतिबिम्बित करते हुए) शामिल है जिसका निर्धारण दि इंस्टिटयूट ऑफ

चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया के लेखा मानक–22 के अनुसार किया जाता है। आस्थगित कर प्रभार अथवा जमा (क्रेडिट) और उसी अवधि की आस्थगित कर देयताओं अथवा परिसम्पत्तियों को कर दरों का प्रयोग करते हुए मान्यता प्रदान की जाती है जिन्हें बैलेंस शीट अथवा तुलन–पत्र की तारीख द्वारा अधिनियमित अथवा स्थापित किया गया है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें उसकी सीमा तक आगे ले जाया जाता है कि इस बात की एक संगत सुनिश्चितता हो कि पर्याप्त रूप में भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसकी तुलना ऐसी आस्थगित कर परसम्पत्तियों से होगी जिनकी वसूली की जा सकती है।

(झ) प्रति शेयर आय

विचारित आय कम्पनी की ईपीएस को सुनिश्चित करती है जिसमें कर के उपरान्त शुद्ध लाभ शामिल है और इसमें किसी भी असाधारण मदों का कर उपरान्त प्रभाव सम्मिलित है। मूल ईपीएस की गणना करने में प्रयोग किए गए शेयरों की संख्या को वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या की तुलना में वरीयता अथवा भारिता दी जाती है।

(ट) विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा में लेन–देन की गणना लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर दि कम्पनीज (लेखा मानक) नियमावली, 2006 के तहत निर्धारित लेखा मानक 11 (संशोधित 2003) – ''विदेशी मुद्रा विनियम दरों में परिवर्तन के प्रभाव'' को धयान में रखते हुए की जाती है। वर्ष के दौरान किए गए विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन के परिणामस्वरूप शुद्ध विनिमय लाभ अथवा हानि को लाभ व हानि लेखा में मान्यता प्रदान की जाती है।

विदेशी मुद्रा को शामिल करते हुए लेन–देन से संबंधित परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों में बदला जाता है। वित्तीय मद के मामले में, रूपांतरण के परिणामत: होने वाले किसी भी लाभ अथवा हानि को लाभ व हानि लेखा में समायोजित किया जाता है।

(ठ) सेवानिवृति लाभ के लिए प्रावधान

कम्पनी में प्रोविडेन्ट फंड तथा ईएसआईसी के प्रावधान लागू नहीं होते। चूंकि कम्पनी का कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत शामिल नहीं होता, इसलिए वर्ष 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ग्रेच्युटी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

2. शेयर पूंजी

विवरण	31.03.2016 की तारीख के अनुसार	31.03.2015 की तारीख के अनुसार
प्राधिकृत प्रति 10/– रूपये के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
निर्गम, पूर्वकृत और प्रदत्त प्रति 10/– रूपये के पूर्ण रूप से भुगतान किए गए 5,00,00,000 इक्विटी शेयर	50,00,00,000	50,00,00,000
	50,00,00,000	50,00,00,000

अवधि के प्रारंभ तथा समाप्ति पर शेयरों की संख्या का मिलान :

अवधि के प्रारंभ में शेयरों की संख्या जोड़ : अवधि के दौरान जारी शेयर कम : वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	5,00,00,000 - -	5,00,00,000 - -
अवधि की समाप्ति पर शेयरों की संख्या	5,00,00,000	5,00,00,000

2 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक :

नाम	शेयरों का प्रतिशत	31.03.2016 की तारीख के अनुसार धारित शेयरों की संख्या	31.03.2015 की तारीख के अनुसार धारित शेयरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	100.00	5,00,00,000	5,00,00,000
		5,00,00,000	5,00,00,000

3. आरक्षित एवं अधिशेष अथवा सरप्लस

विवरण	01.04.2015 की तारीख के अनुसार प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान जमा	अवधि के दौरान विनियोजन/ समायोजन	31.03.2016 की तारीख के अनुसार शेष
लाभ व हानि का विवरण	8,34,58,380	2,46,70,104	–	10,81,28,484

4. अन्य मौजूदा देनदारियां

विवरण	31.03.2016 की तारीख के अनुसार	31.03.2015 की तारीख के अनुसार
भुगतान योग्य सांविधिक देय अथवा देनदारी	1,72,525	1,50,546
अन्य देनदारियां	26,28,075	11,82,225
पुराने चेक की देनदारियां	-	12,44,111
प्रतिभूति जमा	1,00,000	10,50,273
	29,00,600	**36,27,155**

5. प्रावधान

विवरण	31.03.2016 की तारीख के अनुसार	31.03.2015 की तारीख के अनुसार
व्यय के लिए प्रावधान	7,60,177	4,05,482
लाइसेंस फीस में भाकृअनुप के लिए प्रावधान	17,56,024	12,31,024
	25,16,201	**16,36,506**

नोट 6 : दिनांक 31.03.2016 की तारीख को नियत परिसम्पत्तियां

क्र.सं.	विवरण	उपयोगी अवधि	सकल ब्लॉक				अवमूल्यन				निवल ब्लॉक	
			01.04.2015 की तारीख के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान विलोपन	अंतिम मूल्य	प्रारंभ में मूल्य	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान विलोपन	अंतिम मूल्य	31 मार्च, 2015 की तारीख के अनुसार डब्ल्यूडीवी	31 मार्च, 2016 की तारीख के अनुसार डब्ल्यूडीवी
	गोचर अथवा वास्तविक परिसम्पत्तियां											
1	कम्प्यूटर एवं एक्सेसरीज	3	7,52,815	1,70,354	-	9,23,169	4,50,971	2,63,005	-	7,13,976	3,01,844	2,09,193
2	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10	44,19,504	-	-	44,19,504	5,01,714	10,15,254	-	15,16,968	39,17,790	29,02,536
3	कार्यालय उपकरण	5	27,81,868	15,750	-	27,97,618	4,98,228	10,36,578	-	15,34,806	22,83,640	12,62,812
4	बिजली स्थापन एवं उपकरण	10	13,97,560	-	-	13,97,560	1,30,836	3,27,911	-	4,58,747	12,66,724	9,38,813
5	भवन	30	17,14,880	-	-	17,14,880	58,938	1,57,371	-	2,16,309	16,55,943	14,98,571
	अगोचर या अवास्तविक परिसम्पत्तियां											
6	सॉफ्टवेयर	1	1,11,438	-	-	1,11,438	1,11,438	-	-	1,11,438	-	-
	कुल		**1,11,78,065**	**1,86,104**	**-**	**1,13,64,169**	**17,52,125**	**28,00,119**	**-**	**45,52,244**	**94,25,941**	**68,11,925**
	पूर्ववर्ती वर्ष		**9,56,793**	**1,02,21,272**	**-**	**1,11,78,065**	**2,09,069**	**15,43,056**	**-**	**17,52,125**	**7,47,724**	**94,25,941**

* वर्ष 2014-15 के दौरान, कम्पनी द्वारा लीजहोल्ड परिसर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से लीज अथवा पट्टे पर लिए गए) के निर्माण एवं नवीनीकरण पर 17,14,880/- रूपये खर्च किए गए जिसे भवन के तहत पूंजीकृत किया गया।

7. प्राप्य सौदे

विवरण	31.03.2016 की तारीख के अनुसार	31.03.2015 की तारीख के अनुसार
सुरक्षित, सुविचारित लाभ :		
असुरक्षित, सुविचारित लाभ :	–	–
छः माह से अधिक	7,85,400	10,47,200
अन्य	-	-
	7,85,400	**10,47,200**

8. रोकड अथवा नकद व बैंक बैलेंस

विवरण	31.03.2016 की तारीख के अनुसार	31.03.2015 की तारीख के अनुसार
रोकड़ अथवा नकद व समतुल्य		
बैंक के पास शेष	1,40,77,351	68,05,744
हाथ में चेक	833	-
हाथ में रोकड़ अथवा नकदी	-	-
	1,40,78,184	68,05,744
अन्य बैंक बैलेंस		
सावधि जमा (अल्पावधि)	55,00,00,000	53,00,00,000
उपार्जित ब्याज को जोड़ना	3,82,91,072	3,91,82,009
	58,82,91,072	56,91,82,009
	60,23,69,256	**57,59,87,753**

9. अन्य चालू परिसम्पत्तियां

विवरण	31.03.2016 की तारीख के अनुसार	31.03.2015 की तारीख के अनुसार
पेशगी किराया एवं सम्बद्ध प्रभार तथा अन्य प्रभार	26,713	26,215
भुगतान किया गया अग्रिम कर (नेट प्रोविजन)	24,74,942	13,66,391
	25,01,655	**13,92,606**

10. प्रचालनों से राजस्व

विवरण	31-03-2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
लाइसेंस फीस	13,00,000	17,58,606
प्रशिक्षण कार्यक्रम से आय	1,54,10,043	31,41,164
	1,67,10,043	**48,99,770**

11. अन्य आय

विवरण	31-03-2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
नियत अथवा सावधि जमा पर ब्याज	4,85,01,950	4,95,56,505
स्वीप खाते पर ब्याज	16,84,066	13,77,028
परामर्श सेवा से आय	13,264	-
निविदा प्रपत्रों की बिक्री	400	1,500
विविध	50	1,236
	5,01,99,730	**5,09,36,269**

12. कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31-03-2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतनः		
–स्थायी कर्मचारियों को	25,49,406	32,94,929
–अनुबंधित कर्मचारियों को	25,36,093	5,02,358
–एजेन्सी के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों को	21,80,715	-
स्टाफ का प्रशिक्षण	3,600	-
गतिशील खर्चों की प्रतिपूर्ति	30,000	-
	72,99,814	**37,97,287**

13. अन्य व्यय

विवरण	31-03-2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अन्य प्रत्यक्ष व्यय :		
लाइसेंस फीस की लागत	9,10,000	12,31,024
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के व्यय	1,35,79,684	22,23,112
लाइसेंस फीस (हिस्सेदारी भुगतान)	-	4,29,664
	1,44,89,684	**38,83,800**
अन्य अप्रत्यक्ष व्ययः		
प्रशासनिक व्यय	1,25,651	2,41,894
प्रिन्टिंग व स्टेशनरी	3,17,919	1,00,398
कॉमन सेवा प्रभार	8,65,581	9,48,533
रख-रखाव व्यय (कार्यालय)	7,77,512	-
किराया एवं सम्बद्ध व्यय	1,74,804	1,74,804
टेलिफोन व्यय - कार्यालय	92,547	71,174
यात्रा व्यय	3,42,030	36,376
विज्ञापन	1,06,787	19,195
फिक्की को भुगतान किया गया सेमिनार प्रभार	40,000	4,12,586
अंशदान फीस	22,579	5,618
आन्तरिक ऑडिट फीस	51,750	89,607
सांविधिक ऑडिट फीस	42,400	23,000
सचिवालीय ऑडिट फीस	84,668	-
प्रोफेशनल फीस	7,09,912	1,73,170
विद्युत प्रभार	5,13,725	1,97,393
विविध व्यय	3,16,663	7,65,135
सॉफ्टवेयर व्यय	-	58,800
वाहन व्यय	8,16,190	3,78,522
	1,98,90,402	**75,80,005**

14. वित्त व्यय

विवरण	31-03-2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टीडीएस पर ब्याज	497	1,350
कर पर ब्याज	-	67,307
सेवा कर पर ब्याज	60,742	-
बैंक प्रभार	365	2,205
	61,604	**70,862**

15. दिनांक 31 मार्च, 2016 की तारीख के अनुसार आस्थगित कर का अभिकलन

(राशि रूपये में)

	31-03-2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
1. प्रारंभिक व्ययों के हिसाब से	-	13,49,159
2. अग्रेनीत हानि के हिसाब से	**13,89,066**	**13,89,066**
3. डब्ल्यूडीवी के हिसाब से		
कम्पनी अधिनियम के अनुसार	68,11,925	94,25,941
आयकर के अनुसार	87,42,473	93,64,680
कम्पनी अधिनियम की तुलना में आयकर की अधिकता	(19,30,548)	61,262
कुल	33,19,614	26,76,963
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां @ 32.445%	10,77,049	8,68,541
लाभ एवं हानि के विवरण में अभिज्ञात	**(2,08,509)**	**4,24,611**

16. विदेशी मुद्रा में अर्जन

विवरण	31-03-2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
प्रशिक्षण कार्यक्रमों से आय	रूपये 1,54,10,043/-	रूपये 31,41,164/-

17. संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन

संबंधित पार्टी के साथ ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जिसका खुलासा आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस-18) के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है।

18. कम्पनी ने चालू वित्त वर्ष में लागू आवश्यकताओं के अनुसार जहां जरूरी था वहां पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत या पुनर्समूहित किया है।

19. प्रति शेयर लाभ

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक-20, 'प्रति शेयर लाभ' के अनुसरण में प्रति शेयर लाभ की गणना इस प्रकार की गई है :

विवरण	राशि (रूपये) वित्त वर्ष 2015-16	राशि (रूपये) वित्त वर्ष 2014-15
प्रति शेयर मूल लाभ अथवा अर्जन		
इक्विटी शेयरधारक को शुद्ध लाभ	24670104	28921501
इक्विटी शेयरों की भारिता औसत संख्या	50000000	50000000
प्रति शेयर मूल लाभ अथवा अर्जन	0.49	0.58
प्रति शेयर डाइल्यूटिड लाभ		
इक्विटी शेयरधारक को शुद्ध लाभ	24670104	28921501
इक्विटी शेयरों की भारिता औसत संख्या	50000000	50000000
(क्षमताशील इक्विटी शेयर सहित)	0.49	0.58

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्यगण,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड,
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** ('दि कम्पनी') के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण अथवा लेखा परीक्षा की है जिसमें कि 31 मार्च, 2016 तक की संलग्न बैलेंस शीट, वर्ष की समाप्ति पर लाभ व हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों व अन्य स्पष्टीकारक सूचना का सारांश सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की उत्तरदायिता

कम्पनी अधिनियम 2013 ('दि एक्ट') की धारा 134 (5) के संबंधा में वर्णित मामलों के लिए इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में कम्पनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है जो कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखा मानक सहित भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के तदनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही स्थिति दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के साथ तारतम्य में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और किसी भी प्रकार की धोखाधाड़ी अथवा अन्य विसंगति से बचने एवं उसे पकड़ने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रख-रखाव; समुचित लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; न्यायोचित एवं सटीक निर्णय तथा अनुमान लगाना; पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का क्रियान्वयन एवं रख-रखाव; करना शामिल है जिनका प्रचालन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंधा में लेखा रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा था, जो कि कम्पनी की सही एवं वास्तविक स्थिति को उजागर करते हैं तथा धोखाधाड़ी अथवा चूक के कारण तत्वों का गलत अनुमान लगाने की संभावना से रहित है।

कम्पनी का प्रबंधन, इंस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की ऑडिट के मार्गदर्शन नोट में वर्णित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्डों पर आन्तरिक नियंत्रण के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना करने और उसे बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं : विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से तैयार करने सहित कम्पनी के व्यवसाय को उचित एवं प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ऑपरेशन, पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रख-रखाव जो कि कम्पनी की नीतियों का पालन करने, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम करने और उनका पता लगाने, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता तथा जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत जरूरी है।

लेखा परीक्षक की उत्तरदायिता

हमारी उत्तरदायिता, हमारे द्वारा किए अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना और हमारे द्वारा किए गए ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा तथा लेखा परीक्षा मानकों एवं मामलों जिन्हें अधिनियम तथा इसके तहत निरूपित नियमों के प्रावधानों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना जरूरी होता है, के अनुसार प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हमने, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा पर मानकों के तदनुसार लेखा परीक्षा को आयोजित तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट तैयार किया है। इन मानकों की आवश्यकता है कि हम नीतिशास्त्र आवश्यकताओं के साथ ऐसा उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा व योजना तैयार करें जो इस बारे में हो कि क्या वित्तीय विवरण की सामग्री मिथ्या कथन से रहित हैं और क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्थापित किया गया और उसे बनाये रखा गया था और साथ ही क्या सभी सामग्री के संबंध में ऐसा नियंत्रण प्रभावी ढंग से लागू किया गया था।

किसी लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया के तहत वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण और राशि के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करने में निष्पादन कार्यविधि शामिल होती है। चुनी गई कार्यविधि लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री अथवा सूचना के मिथ्या कथन के जोखिम का आकलन करना शामिल होता है कि क्या ऐसा धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हैं। ऐसे जोखिम आकलनों में, लेखा परीक्षक, कम्पनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनके सही प्रस्तुतीकरण के लिए कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखा परीक्षा कार्यविधि बनाई जा सके जो कि परिस्थितियों के अनुकूल हो लेकिन यह ऐसी किसी राय को प्रकट करने के लिए नहीं होती कि क्या कम्पनी में वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रण को प्रभावी तरीके से चलाने की तुलना में एक पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की प्रासंगिकता और कम्पनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों की सुसंगता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा हासिल लेखा-परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय अथवा तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसकी डिजाइन सामान्य तौर पर स्वीकार्य एकाउन्टिंग सिद्धान्तों के तदनुसार बाह्य प्रस्ताव हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त भरोसा प्रदान करने हेतु तैयार की जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां एवं कार्यविधियां शामिल होती हैं यथा :

(1) ऐसे रिकॉर्ड के रख-रखाव से संबंधित है जिसमें कम्पनी की परिसम्पत्तियों के लेन-देन तथा प्रकृति का उपयुक्त विवरण, सटीकता एवं उचित स्थिति दर्शाई जाती है;

(2) सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के तदनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करते समय जैसा जरूरी है, उसी प्रकार लेन-देन को दर्ज किया गया है और कम्पनी की प्राप्तियों एवं खर्चों को कम्पनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किया जा रहा है, के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना; एवं

(3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों जिनका कि वित्तीय विवरण पर एक तात्विक प्रभाव पड़ सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा प्रकृति की रोकथाम अथवा समय से पता लगाने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का स्वाभाविक अनुकरण

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाओं के कारण नियंत्रण की अनदेखी करने से टकराव अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावनाओं के साथ त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण होने वाला तात्विक गलत विवरण हो सकता है और उसे खोजा नहीं जा सकता। इसके साथ ही, भावी अवधि की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान करने में भी जोखिम बना रहता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है क्योंकि इसका कारण परिस्थितियों में परिवर्तन अथवा नीतियों अथवा कार्यविधियों के साथ अनुपालन की डिग्री का बिगड़ना हो सकता है।

राय अथवा मत

हमारी राय में तथा हमारी ज्ञात जानकारी में और हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम के अनुरूप अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और साथ ही 31 मार्च, 2016 की तारीख तथा इसी तारीख पर समाप्त हुए वर्ष के लिए इसके लाभ और नकदी प्रवाह के संबंध में कम्पनी के मामलों में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों की पुष्टि में सत्य और सही दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संबंधा में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी एवं समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2015 (''आदेश'') के अनुसार, हम अनुबंध - ए विवरण में आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में निर्दिष्ट विषयों पर लागू सीमा तक अपनी टिप्पणी देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमने वे सभी सूचनाएं व विवरण प्राप्त किए जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे;

   ख) हमारी राय में कानून के अनुसार आवश्यक लेखा के उचित खाते कम्पनी द्वारा रखे गए, जैसा कि इन खातों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है;

   ग) इस रिपोर्ट से संबंधित बैलेंस शीट, लाभ व हानि तथा नकदी प्रवाह का लेखा-जोखा अथवा विवरण लेखा बही के अनुरूप है।

   घ) हमारी राय में, वित्तीय विवरणों को तैयार करते हुए कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

   ड) दिनांक 31 मार्च, 2016 को कम्पनी के सभी निदेशकों द्वारा दिए गए लिखित प्रतिवेदनों और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए विवरणों के अनुसार 31 मार्च, 2016 को कम्पनी का कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के संबंध में किसी निदेशक की नियुक्ति किए जाने हेतु अयोग्य नहीं है ।

   च) व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार और स्वामित्व की संगठनात्मक संरचना पर विचार करते हुए हमारे मत में सभी सामग्री के संबंध में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण कम्पनी में दिनांक 31 मार्च, 2016 की तारीख पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा था । इसका आधार इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों को विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण मानदण्ड था।

छ) कम्पनी (ऑडिट एवं आडीटर्स) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत में तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी और हमें उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :

1. कम्पनी में किसी प्रकार की मुकदमेबाजी लंबित नहीं है जिससे कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो;

2. ऐसा कोई भी व्युत्पन्न अनुबंध जिससे कोई तात्विक दृष्टव्य नुकसान हो, सहित कम्पनी का कोई दीर्घावधि अनुबंध नहीं है;

3. ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण फंड को स्थानांतरित करने की जरूरत हो

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार मामलों पर यह रिपोर्ट अनुबंध - बी के रूप में संलग्न है।

वीएसडी एसोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफ.आर. सं. 008726 एन

ह0/-
(अंकित गर्ग)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 515099
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.09.2016

सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध 'ए'

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा पर **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़** के संदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के समसंख्यक दिनांक के पत्र के संदर्भ में अनुबंध 'ए' प्रस्तुत है। हमारी रिपोर्ट है कि :

i) क) कम्पनी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के परिमाणात्मक ब्यौरे तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड का रख-रखाव किया गया है;

ख) नियत परिसम्पत्तियों का वर्ष के दौरान प्रबंधान द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन में किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई।

ग) कम्पनी के पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है।

ii) हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा कोई इन्वेंटरी तैयार नहीं की गई, इसलिए पैराग्राफ 3 (ii) के तहत रिपोर्ट किया जाना लागू नहीं है।

iii) हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 ('दि एक्ट') की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कम्पनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को किसी भी प्रकार का सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण मंजूर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) (a)ए 3(iii) (इ) - 3(iii)(ब) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

iv) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा धारा 185 एवं 186 के तहत शामिल किसी प्रकार का ऋण, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी गई इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(iv) के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाना लागू नहीं होता।

v) कम्पनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3(अ)के तहत रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।

vi) हमारी राय में तथा कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) (क) के तहत कम्पनीज (लागत रिकॉर्ड एवं ऑडिट) नियमावली, 2014 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा लागत रिकॉर्ड का रख-रखाव करने की जरूरत निर्धारित नहीं की गई है।

vii) क कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और साथ ही कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने आयकर, सेवा कर, तथा समुचित एथारिटीज के अन्य सांविधिक देय सहित सभी अविवादित सांविधिक देय को नियमित रूप से जमा कराया है।
कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, देय तिथि की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए दिनांक 31 मार्च, 2016 के दिन तक कम्पनी के ऊपर आयकर, सेवा कर एवं किसी प्रकार का बकाया अन्य सांविधिक देय बकाया नहीं है।
ख) आयकर, सेवा कर तथा अन्य सांविधिक देय, जैसा लागू है, के मामले में कोई विवादित राशि का भुगतान करना बकाया नहीं है।

viii) कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार तथा साथ ही कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक या ऋणदाता की कर्जदार नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (viii) के तहत कम्पनी की रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।

ix) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा प्रारंभिक/पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपायों सहित) अथवा आवधिक ऋण के माध्यम से किसी प्रकार की निधि एकत्रित नहीं की गई। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(ix) के तहत कम्पनी की रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।

x) कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कम्पनी की ओर से अथवा कम्पनी के साथ किसी प्रकार की धोखाधाड़ी नहीं पाई गई। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(x) के तहत कम्पनी की रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।

xi) कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार तथा साथ ही कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी अधिनियिम, 2013 की अनुसूची V के साथ पढ़े जाने वाली धारा 197 के तहत अधिदेशित वांछित अनुमोदन के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है।

xii) कम्पनी कोई निधि कम्पनी नहीं है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(xii) के तहत कम्पनी की रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।

xii) संबंधित पक्षों के साथ सभी प्रकार का लेन-देन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 व 188 के अनुपालन में किया जाता है और इसका विवरण लागू लेखा मानकों में आवश्यक वित्तीय विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

xiii) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा शेयरों का किसी प्रकार का निजी प्लेसमेंट अथवा पसंदीदा आवंटन नहीं किया गया।

xiv) कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने अपने साथ जुड़े निदेशकों अथवा व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर नकदी लेन देन नहीं किया ।

xv) कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध - बी

(समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी एवं विनियामक जरूरतों के खण्ड पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

1.	क्या कम्पनी द्वारा फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए क्रमश: टाइटल/लीज डीड को क्लीयर कर दिया गया है ? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का वह क्षेत्र बताएं जिसके लिए टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं हैं।	दिनांक 31 मार्च, 2016 के अनुसार कोई फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड भूमि नहीं है।
2.	क्या ऋण/ब्याज आदि को छूट देने अथवा बट्टे खाते डालना का कोई मामला है ? यदि हां, तो इसका कारण और इसमें शामिल राशि के बारे में बताएं।	इस प्रकार का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसम्पत्ति एवं तीसरे पक्ष के पास प्रविष्टियों के संबंध में उचित रिकॉर्ड रखा गया है ?	कम्पनी में इस प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं है और सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से कोई परिसम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई अत: यह लागू नहीं होता।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, हमारी राय में तथा हमें ज्ञात जानकारी और हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, किसी प्रकार की कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं है और इसका कम्पनी के लेखा तथा वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

वीएसडी एसोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफ.आर. सं. 008726 एन

ह0/-
(अंकित गर्ग)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 515099
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.09.2016

अनुपालन प्रमाण-पत्र

हमने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के लेखों की लेखा-परीक्षा (ऑडिट) की है । साथ ही यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

वीएसडी एसोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफ.आर. सं. 008726 एन

ह0/-
(अंकित गर्ग)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 515099
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.09.2016

सेवा में,

व्यावसायिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक एवं
पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड -III
8वां एवं 9वां तल, एनेक्सी भवन,
10, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली - 110 012

विषय : एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड की कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत रिपोर्ट

महोदय,

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत दिनांक 31.03.2016 को समाप्त हुई अवधि के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड की रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत है :

1.	क्या कम्पनी द्वारा फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए क्रमशः टाइटल/लीज डीड को क्लीयर कर दिया गया है ? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का वह क्षेत्र बताएं जिसके लिए टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं हैं।	दिनांक 31 मार्च, 2016 के अनुसार कोई फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड भूमि नहीं है।
2.	क्या ऋण/ब्याज आदि को छूट देने अथवा बट्टे खाते डालना का कोई मामला है ? यदि हां, तो इसका कारण और इसमें शामिल राशि के बारे में बताएं।	इस प्रकार का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसम्पत्ति एवं तीसरे पक्ष के पास प्रविष्टियों के संबंध में उचित रिकॉर्ड रखा गया है ?	कम्पनी में इस प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं है और सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से कोई परिसम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई अतः यह लागू नहीं होता।

वीएसडी एसोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफ.आर. सं. 008726 एन

ह0/-
(अंकित गर्ग)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 515099
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.09.2016

प्रपत्र सं.: एमआर-3
सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए

सेवा में,

निदेशक
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर,
देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली - 110 012

विषय : दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के लेखा पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

मैंने, लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड् (यहां कम्पनी कहा जाए) द्वारा अपनाई गई बेहतर कॉरपोरेट रीतियों के अनुपालन में सांविधिक लेखा परीक्षा का आयोजन किया। सांविधिक लेखा परीक्षा का आयोजन इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉरपोरेट आयोजनों/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित आधार मिला।

मूल्यांकन के दौरान मैंने कम्पनी की पुस्तकों अथवा बही, पेपरों, मिनट पुस्तकों, प्रपत्रों तथा प्रस्तुत रिटर्न और कम्पनी द्वारा रख-रखाव किए गए रिकॉर्ड का सत्यापन किया। इसके अलावा मैंने सांविधिक लेखा परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके कम्पनी सचिव, इसके अधिकारी एजेन्टों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का भी सत्यापन किया। दिनांक 31 मार्च, 2016 (लेखा परीक्षा अवधि) को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा की अवधिा के दौरान एतद्दवारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मेरा मत है कि कम्पनी द्वारा नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का सामान्यतया अनुपालन किया गया है तथा साथ ही कम्पनी में एक उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन क्रियाविधि का अनुपालन किया जाता है जिसके बारे में नीचे बताया गया है :

मैंने, दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की पुस्तकों अथवा बही, मिनट पुस्तकों, प्रपत्रें, प्रस्तुत रिटर्न तथा रख-रखाव किए गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की।

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) तथा इसके तहत निरूपित नियमावली;
2. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इस पर निरूपित नियमावली;

(लागू नहीं)

3. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा इस पर निरूपित विनियमन एवं बायलॉज **(लागू नहीं)**
4. विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य व्यावसायिक ऋण (External Commercial Borrowings) की सीमा तक निरूपित नियमावली एवं विनियम; **(लागू नहीं)**

5. कम्पनी द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार कम्पनी पर लागू अन्य कानून

इसके अलावा, मैंने निम्नलिखित के स्वीकार्य उप-नियमों का अनुपालन करते हुए भी जांच की।

(i) दि इंस्टिट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सांविधिक मानदण्ड़

(ii) कम्पनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। इसलिए, इस कम्पनी पर सूचीबद्ध समझौते के उप-नियम अथवा खंड लागू नहीं होते ।

मेरी यह रिपोर्ट है कि :

समीक्षा के तहत रिपोर्टाधीन अवधि और प्रबंधान द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण व प्रतिवेदनों तथा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा सामान्यतया निम्नलिखित आकलनों के अनुसरण में उपरोक्त वर्णित अधिनियम, नियमावली, विनियमन तथा दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन किया गया।

कम्पनी नियमावली, 2014 की धारा 149 एवं नियम 4 (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) के अनुसरण में अभी तक कम्पनी द्वारा किसी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त नहीं किया गया।

इसके अलावा मेरी यह रिपोर्ट भी है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे स्वीकार्य वित्तीय कानूनों का कम्पनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाली रिपोर्ट की समीक्षा इस लेखा परीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि इसे सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षक और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा की जाने वाली समीक्षा के आधार पर किया जाना था।

पुनः मेरा यह कहना है कि कम्पनी को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, इसलिए इस लेखा परीक्षा में प्रतिभूति कानूनों की समीक्षा नहीं की गई है।

मेरा पुनः यह आकलन है कि :

- कम्पनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है, हालांकि, इस रिपोर्ट की तारीख तक कम्पनी ने कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया है।
- समीक्षा के तहत रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संयोजन में किया गया बदलाव अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया गया।
- बोर्ड की बैठकों की समय-सारणी, कार्यसूची के संबंधा में सभी निदेशकों को समुचित सूचना दी गई तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी बैठक से कम से कम सात दिन पहले सभी निदेशकों को भेजा गया। साथ ही बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाली कार्यसूची मदों पर पुनः जानकारी तथा स्पष्टीकरण हासिल करने के लिए एक प्रणाली पहले से विद्यमान है।
- बैठक में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों द्वारा किसी भी कार्यसूची मद पर अपनी असहमति नहीं दर्शाई गई है।
- कम्पनी द्वारा स्थापित अनुपालन क्रियाविधि के आधार पर, हमारा यह मत है कि कम्पनी प्रबंधन में शामिल है :

- स्वीकार्य कानूनों, नियमावली, विनियमों तथा दिशानिर्देशों की निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित करने में कम्पनी के आकार एवं प्रचालनों के साथ अनुरूपण में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2016

कृते अरूणेश दुबे एंड कम्पनी की ओर से
(कम्पनी सचिव)

(अरूणेश कुमार दुबे)

ह0/-
सदस्य संख्या एफ 7721
सीओपी सं.: 14054

अनुबंध-ए

सेवा में,

सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़
जी–2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर,
देव प्रकाश शास्त्री मार्ग,
नई दिल्ली – 110 012

इस पत्र के साथ समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट को भी पढ़ा जाए :

1. सांविधिक रिकॉर्ड का प्रबंधन करना कम्पनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर इन सांविधिक रिकॉर्ड पर अपने विचार प्रकट करना हमारा दायित्व बनता है।

2. हमने, सांविधिक रिकॉर्ड की विषय–वस्तु की सटीकता के बारे में न्यायोचित विश्वास हासिल करने के लिए जरूरी रीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया। जांच के आधार पर प्रमाणन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सांविधिक रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं रीतियों के परिणामस्वरूप हमारे विचार को एक न्यायोचित आधार मिलता है।

3. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तक (Books of Accounts) की सटीकता एवं उपयुक्तता का प्रमाणन नहीं किया है।

4. जहां जरूरी था, वहां हमने कानूनों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन और घटित घटनाओं के बारे में प्रबंधकों से प्रतिवेदन हासिल किया।

5. कॉरपोरेट एवं अन्य स्वीकार्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, जांच के आधार पर कार्यविधि का प्रमाणन करने तक सीमित थी।

6. सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता और न ही दक्षता अथवा प्रभावशीलता के प्रति कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन द्वारा कम्पनी के मामलों को देखा गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2016

कृते अरूणेश दुबे एंड कम्पनी की ओर से
(कम्पनी सचिव)

(अरूणेश कुमार दुबे)

ह0/-
सदस्य संख्या एफ 7721
सीओपी सं.: 14054

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के तदनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करने के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दिनांक **15.09.2016** की इनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यह कार्य कर दिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** की 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की है। इस पूरक लेखा परीक्षा को वैधानिक लेखा परीक्षकों के पेपरों तक पहुंचे बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्यत: वैधानिक लेखा परीक्षकों व कम्पनी कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखा रिकॉर्ड की चुनिन्दा जांच तक ही सीमित है। अपनी पूरक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत निम्नलिखित उल्लेखनीय मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो कि मेरे ध्यान में आए हैं और मेरी दृष्टि में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए जरूरी हैं :

1. **बैलेंस शीट**

   वर्तमान परिसम्पत्तियां

   नकद एवं बैंक बैलेंस (नोट सं. 8) रूपये 60,23,69,256/-

ऊपर शामिल रूपये 3.83 करोड़ ब्याज उपार्जित लेकिन सावधि जमा पर देय नहीं है, को अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों के तहत दर्शाया जाना चाहिए। अत: इसके परिणामस्वरूप रूपये 3.83 करोड़ तक नकद एवं नकद समतुल्य का अति-विवरण (overstatement) और अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों का अल्पविवरण (understatement) हुआ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.11.2016

ह0/-
(डॉ. आशुतोष शर्मा)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कम्पनी के वार्षिक लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधकों का मत

क्र. सं.	लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधकों का मत	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणी
1.	बैलेंस शीट, चालू परिसम्पत्ति नकद एवं बैंक शेष (नोट सं. 8) रूपये 60,23,69,256/- इसके अतिरिक्त ब्याज के रूप में रूपये 3.83 करोड़ शामिल हुए लेकिन सावधि जमा पर नहीं जिन्हें कि अन्य चालू अथवा वर्तमान परिसम्पत्तियों में दर्शाया जाना चाहिए। अत: इसके परिणामस्वरूप नकद तथा नकद समतुल्य में अति विवरण और रूपये 3.83 करोड़ द्वारा अन्य चालू अथवा वर्तमान परिसम्पत्तियों में अल्प विवरण उत्पन्न हुआ।	यह देखा जाय कि अर्जित ब्याज हुआ लेकिन यह 31.03.2016 तक देय नहीं था जिससे रूपये 382.91 लाख रूपये की राशि को कम्पनी के लेखा के नोट संख्या 8 में अलग से ''अन्य बैंक शेष (other Bank Balances)'' में दर्शाया गया है न कि ''नकद एवं नकद समतुल्य (Cash & Cash Equivalent)'' में दर्शाया गया है। इसके साथ ही ''नकद प्रवाह विवरण (Cash flow statement)'' में ''नकद एवं नकद समतुल्य (Cash & Cash Equivalent)'' को दर्शाया गया है जिसमें इस राशि को शामिल नहीं किया गया और इसे ''निवेश करने वाली गतिविधियों से नकद प्रवाह'' के तहत दर्शाया गया है। इसलिए, इस राशि के लेखा उपचार को ''नकद एवं नकद समतुल्य (Cash & Cash Equivalent)'' से अलग रखा गया है। बैलेंस शीट में इस राशि को दर्शाया जाना केवल प्रस्तुतीकरण का एक मामला है। पुन: अनुसूची-III के अनुसार ''बैंक के साथ सावधि जमा (365 दिनों से अधिक नहीं)'' नकद एवं नकद समतुल्य (CASH & CASH EQUIVALENT) है न कि अन्य चालू अथवा वर्तमान परिसम्पत्ति (OTHER CURRENT ASSETS) । हालांकि, लेखा मानक-3 के अनुसार, नकद प्रवाह विवरण में केवल अत्यंत तरल एफडीआर यथा 3 माह से कम परिपक्वता वाली एफडीआर को ''नकद एवं नकद समतुल्य (CASH & CASH EQUIVALENT)'' में दर्शाया जाएगा। इसलिए, बैलेंस शीट में हमने एक शीर्ष ''नकद एवं बैंक शेष (CASH & BANK BALANCE)'' रखा है और नोट संख्या 8 में हमनें उप शीर्ष '' नकद एवं नकद समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष (CASH & CASH EQUIVALENT AND OTHER BANK BALANCE)'' रखा है। हमने ''अन्य बैंक शेष (Other Bank Balance)'' में एफडीआर के साथ साथ अर्जित ब्याज को दर्शाया है। इसके साथ ही, ये जमा दिनांक 15.05.2016 को परिपक्व हुए थे और दिनांक 31.03.2016 को मूल्यों में बदलावों का गैर उल्लेखनीय जोखिम होने पर ब्याज को इसलिए अत्यधिक तरल नकदी के रूप में माना गया । इसी प्रकार की रीति को पिछले चार वर्षों से अपनाया जा रहा है। हालांकि, चूंकि हमारे उत्तर पर विचार करने के बाद भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी को बनाये रखा गया है, इसलिए इस प्वाइंट को भावी अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।	हम, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधान के विचार से सहमत हैं।